रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कोर-IV, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

सतर्कता प्रभाग

सं. आरईसी/सतर्कता/II(246)/2000/275 **दिनांक 16 दिसम्बर, 2003**

परिपत्र सं. 4/2003

कुछ परियोजना कार्यालयों के सतर्कता निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि अनुदान की दूसरी किस्त का दावा करने के लिए विद्युत युटिलिटियों द्वारा प्रस्तुत की गई लाभार्थियों की सूची का परियोजना कार्यालय स्तर पर समुचित रूप से सत्यापन नहीं किया गया है। यह नोट किया गया है कि सूची में नामों की पुनरावृत्ति की गई है, क्रम संख्या में लिपिकीय गलतियां हैं और जोड़ करने संबंधी गलतियां हैं आदि, जिसके फलस्वरूप अधिक दावे की अधिक राशि दे दी गई है।

सभी संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस विषय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें और दावों की दूसरी किस्त के लिए सिफारिश करते समय विद्युत युटिलिटियों द्वारा प्रस्तुत लाभभोगियों की सूचियों का समुचित रूप से सत्यापन करें। उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि सूची का सत्यापन कर लिए जाने के संकेत के रूप में वे उस पर अपने हस्ताक्षर या आद्याक्षर करें ।

ह0/-
(वी.के.शर्मा)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

वितरण:-

सभी मुख्य परियोजना प्रबंधक, आरईसी परियोजना कार्यालय
अपर निदेशक, सायर, हैदराबाद

प्रति प्रेषित:-

1. कार्यकारी निदेशक (वित्त), आरईसी
2. महाप्रबंधक (ओडी-I)/(ओडी-II)/(ओडी-III), आरईसी, कारपोरेट कार्यालय
3. मास्टर फाइल/फोल्डर/कार्यालय प्रति